

राजस्थान सरकार  
श्रम एवं रोजगार विभाग

आदेश

राज्य सरकार द्वारा CORONA महामारी के कारण पूर्ण लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए विषम परिस्थिति में तात्कालिक सहायता के रूप में निम्न श्रेणी के जरूरतमन्द परिवारों को राशि रु. 1000/- प्रति परिवार एकबारीय सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है -

- (i) BPL, State BPL एवं अन्योदय योजना के अन्तर्गत आने वाले ऐसे परिवार जिनके किसी भी सदस्य को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है।  
(ii) पंजीकृत निर्माण श्रमिक जो प्रथम श्रेणी में सम्मिलित नहीं है।  
(iii) Street Vender जो उपरोक्त दो श्रेणियों में सम्मिलित नहीं है।  
(iv) अन्य श्रमिक, रिक्षा चालक, निराश्रित तथा असहाय जरूरतमन्द परिवार।

उक्त परिवारों को यह सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी -

(A) राज्य स्तर से भुगतान

प्रथम दो श्रेणियों के पात्र परिवार जो जन आधार Database से जुड़े हैं (ऐसे परिवारों की संख्या लगभग 30 लाख है) -

- इनके लिए एक मुश्त राशि रु. 310 करोड़ श्रम विभाग द्वारा Board of Construction Workers Cess Fund से RISL को उपलब्ध कराई जायेगी।
- RISL द्वारा जन आधार Database के अनुसार पात्र व्यक्तियों को चिन्हित कर जन आधार DBT Engine के माध्यम से रु. 1000/- प्रति परिवार राशि सम्बद्धित परिवारों के Bank Account में हस्तान्तरित की जायेगी।

- वास्तविक रूप से हस्तान्तरित राशि की U.C. मत्र लाभान्वित सूची (Soft Copy) के RISL द्वारा श्रम विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी।
- शेष राशि RISL द्वारा श्रम विभाग को ऐसे समस्त पात्र परिवारों को लाभान्वित करनें के उपरान्त श्रम विभाग को पुनः लौटा दी जायेगी।
- RISL द्वारा जिन लाभान्वित परिवारों के पास Mobile Phone है उन्हें SMS के माध्यम से सूचित किया जायेगा।
- RISL को इस कार्य हेतु सर्विस चार्ज देय नहीं होगा।

#### (B) जिला कलकटर के स्तर से भुगतान

जिला स्तर पर निम्न श्रेणियों के जरूरतमन्द परिवारों को भुगतान सुनिश्चित किया जाना है -

(i) प्रथम दो श्रेणियों के केन्द्रीय भुगतान उपरान्त यदि कोई पात्र परिवार भुगतान से वंचित रह गये हैं तो जिला स्तर पर उनका भुगतान किया सकता है।

(ii) शेष दो श्रेणियों का भुगतान जिला स्तर से ही किया जायेगा।

- प्रत्येक जिला कलकटर को उनके द्वारा चयनित किसी संस्था/निकाय के Bank Account में श्रम विभाग द्वारा Board of Construction Workers Cess Fund में निम्नानुसार राशि हस्तान्तरित की जायेगी।
  - जिला जयपुर - रु. 1 करोड़
  - अन्य संभागिय मुख्यालय वाले जिले - रु. 75 लाख
  - शेष जिले - रु. 50 लाख
- जिला कलकटर द्वारा क्षेत्रीय अधिकारियों के माध्यम से पात्र परिवारों का चिन्हीकरण कर यथायम्भव उनके Bank Account में राशि स्तान्तरित की जायेगी।
- किसी असहाय/निराश्रित परिवार का Bank Account नहीं होने पर जिला कलकटर द्वारा नगद भुगतान भी किया जा सकता है। एसी स्थिति में परिशिष्ट 'अ' पर दिये गये प्रारूप में नगद राशि की पावती ली जाये।

- जिला कलक्टर द्वारा उक्तानुसार सहायता वितरित कर परिशिष्ट 'ब' में राशि की U.C. मय भुगतान की सूची (Soft Copy सहित) श्रम विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी।
- जिला कलक्टर्स को प्रारम्भिक रूप से श्रम विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही राशि के अतिरिक्त आवश्यकता होने पर वह शासन सचिव, श्रम विभाग को अपनी Demands भेज सकेंगे।

Board of Construction Workers Cess Fund के माध्यम से श्रम विभाग द्वारा उपलब्ध कराई इस तात्कालिक सहायता हेतु उपलब्ध कराई जा रही राशि Advance के रूप में है, जिसका पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में श्रम विभाग को किया जायेगा।

राज्य एवं जिला रूतर से पात्र परिवारों को सहायता शीघ्रातिशीघ्र वितरित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

यह आदेश वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 1.02.001.73.1 दिनांक 25/03/2020 के अनुसरण में जारी किया जाता है।



(नीरज के. पवन)  
शासन सचिव  
श्रम एवं रोजगार विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सचिव, मंत्री, श्रम विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, RISL।
6. जिला कलेक्टर समस्त, राजस्थान।
7. रक्षित पत्रावली।



श्रम आयुक्त  
25/03/2020.